न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला –चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी :– **जवाहरलाल जैन** (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं0 14/2021, प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट

भैरू पिता कालु गुर्जर नि. चान्द्राखेड़ी तह. बडीसादडी।

– प्रार्थी

।। बनाम ।।

1– कालु पिता मोती गुर्जर नि. चान्द्राखेड़ी तह. बडीसादडी
2– श्रीमती सोना पत्नी मथरालाल गुर्जर नि. चान्द्राखेड़ी तह. बडीसादडी
3– श्रीमती गुड्डी पत्नी सुरेश गुर्जर नि. नोगावा तह. बडीसादडी
4– उपपंजीयक बडीसादडी
5– तहसीलदार बडीसादडी

– विपक्षीगण

उपस्थित – विद्वान अधिवक्ता आर.एस. झाला, प्रार्थी की ओ से
विद्वान अधिवक्ता एच.एस. राठौड. अप्रार्थीगण क्रमांक 1, 2 की ओर से

।। निर्णय ।। दिनांक 06.4.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का इस न्यायालय में पेश किया है कि राजस्व ग्राम चान्द्राखेड़ी के खाता सं. 3 की आ.न. 353, 354, 355, 356, 357 कुल किता 5 कुल रकबा 15.3500 हैक्ट. खाता सं. 5 की आ.नं. 100 रकबा 0.1100 हैक्ट, खाता सं. 6 की आ.नं. 152, 157, 319, 352, 382, 383, 384, 59, 60, 61, 62 कुल किता 11 कुल रकबा 6.5600 हैक्ट., खाता सं. 26 की आ.नं. 154 रकबा 0.1100 हैक्ट., खाता सं. 78 की आ.नं. 296 रकबा 1.1800 हैक्ट. खाता सं. 162 की आ.नं. 293, 294, 295, 297, 488 कुल किता 5 कुल रकबा 2.7600 हैक्ट. को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थी ने घोषणा, बटवाड़ा, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक संपत्ति की होने से कालू की संपत्ति में मेरा जन्म से ही हिस्सा निहित होने से 1/4 हिस्सा है। विपक्षी नं. 1 कुछ हिस्सा जरिये मांग पत्र अपनी पुत्री को दे दिया है तथा शेष आराजी भी हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

विपक्षी नं. 1– कालु , 2– श्रीमती [illegible] ओर से एच.एस राठौड़ ने जवाब न देकर सीधे ही बहस की । प्रार्थी [illegible] को दोहराया । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.07.23 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

1– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी आर.एस. झाला [illegible] अपनी बहस में बताया [illegible] प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में अंकित तथ्यों को ही अधिवक्ता की बहस मान ली जावे। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस की

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

उत्तर में यह निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। यह भी निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजीयात की प्रकृति साक्ष्य के बाद निश्चित होगी ।

2– प्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार नहीं है। जबकि विपक्षी नं. 1 रिर्कोडेड खातेदार है। तथा वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा भी है। न ही पुश्तैनी सम्पत्ति बाबत, दस्तावेज पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षी नं. 1 के पक्ष में है।

3– प्रार्थी उक्त आराजीयात पर ना तो कब्जेकाश्त ना ही रिकोर्डेड खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजीयत पैतृक सम्पत्ति है। इस संबंध में वकील प्रार्थी कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाये। तथा वकील प्रार्थी को ठोस दस्तावेज पेश करने के लिए एक अवसर ओर देने के लिए भी कहा गया लेकिन वकील प्रार्थी ने इस पर असहमति व्यक्त की। वकील अप्रार्थी ने बताया कि उक्त आराजीयात अप्रार्थी की स्वअर्जित संपत्ति है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त आराजी पर प्रार्थी का अधिकार विपक्षी के जिते जी नहीं हो सकता । इसलिए उक्त आराजी पर अपूरणीय क्षति होने की संभावना भी नहीं है।

4– अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीया को खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर प्रार्थीया काबिज है। इसके विपरीत अप्रार्थी का आराजी के किसी भाग पर कही कब्जा नहीं हैं।

5– वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी एवं पैतृक सम्पत्ति हो । प्रार्थी यह प्रमाणित करने में भी प्रथम दृष्टया असफल रहा है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अधिकार प्राप्त होता हो। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.4.2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर

(जवाहरलाल जैन)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Lal Jain
Date: 2021.07.23 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested